

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

क्र. : सम्बद्धता/2021/06- 1843

दिनांक 12/07/2021

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धता/2020/(25)/2195, दिनांक 15.07.2020 द्वारा महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में कतिपय शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से निरीक्षण मण्डल द्वारा स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति की गयी थी, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शर्तों के अधीन महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2020 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है।

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में सम्बद्धता हेतु तथा उपर्युक्त/अन्य कमियों को पूर्ण करने के शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण मण्डल की आज्ञा के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त माने जायेगी।

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित 30.09.2000 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार विगत दो वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2020 से स्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं सविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुरांगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
- संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
- संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- विश्वविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा निर्णय का उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाया जाता है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के दिव्य निम्नलिखित कार्यवाही केन्द्रों को ज्ञापित किया जायेगा।
- महाविद्यालय द्वारा स्थाई सम्बद्धता 2018-19 एवं 2019-20 का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः लेने की विनियमन कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांक संख्या: सम्बद्धता/2021/.....तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।
- अधिष्ठाता, कला संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर।
- प्रभारी, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करे, कुलसचिव कार्यालय।
- प्रशासनिक अधिकारी कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के सूचनाार्थ।
- गार्ड फाइल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव